दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(309)

न्यायालय श्रीमान् समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग ग्वालियर (म0प्र0)

निग0प्र0क्रं0........... R 679-I-17 सन्..........

रामभरोसे गुप्ता तनय स्व. श्री बल्देव वानियां उम्र 76 वर्ष

निवासी ग्राम कदारी पोस्ट बसारी तहसील व

जिला छतरपुर (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

17-2-17

बिरूद्ध

शासन मध्य प्रदेश ....गैरनिगरानीकर्ता

17-2-17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0संहिता के तहत निगरानी आदेश विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय छतरपुर रा0प्र0क्रं0 04/बी-121/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2001 से दुखी होकर।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता/आवेदक सादर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है -

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि-** भूमि खसरा नं. 3669, 3671 कुल किता 02 रकवा क्रमशः 2.36 है0 एवं 7.11 है0 स्थित मौजा छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0 की निगरानीकर्ता की पैत्रिक कृषि भूमि है। उक्त भूमि आवेदक/निगरानीकर्ता के पिता स्व. श्री बल्देव वानियां तनय लीलाधर के नाम राजस्व अभिलेख में संवत 2009 से लगायत 2010, 2011, एवं खसरा 2013 से 2017 में राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। तथा खतौनी संवत 2015 मे खाता क्रं.-142 पर निगरानीकर्ता के पिता श्री बल्देव तनय लीलाधर वानियां के नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज है, तथा वर्तमान में भी उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज रह कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है।

2. यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता का राजस्व अभिलेखों मे नाम वतोर खातेदार के रूप में वर्षों से तक चला आ रहा है, इसके वाद बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बरों पर आवेदक/निगरानी का नाम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-679-एक/2017 जिला छतरपुर रामभरोसे विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 04/बी-121/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019	